


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की सूचना

मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

1. परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
2. जनसूचना अधिकारी/कर्मचारी के अधिकार तथा कर्तव्य:- आवेदकों द्वारा मोंगी जाने गली (नियमानुसार देय) सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।
3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको आमद रजिस्टर करना एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना तथा सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।
4. निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों से सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।
6. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है-
 - कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
 - जोन कार्यालय, द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
 - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
 - शासन/अन्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
 - अपीलीय प्रार्थना पत्र।
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
14. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
15. सूचना प्राप्त करने हेतु याचना करने वाले लोगों को सूचना प्रदान करने में युक्तियुक्त सहायता प्रदान करना।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम- परिक्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री जसवीर सिंह	प्रधान लिपिक/ जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त करे सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अंतरित किया जाना।
2	श्री योगेन्द्र सिंह	निरीक्षक/ वाचक, पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
3	श्री जोगेन्द्र गिरि	मुख्य आरक्षी	समस्त अभिलेखों का रखरखाव कराना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।

17. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


 जनसूचना अधिकारी
 कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
 मेरठ परिक्षेत्र मेरठ